

Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, प्राधिकृत अधिकारी सिनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर (मध्यप्रदेश) को कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमण्डल क्षेत्र अंतर्गत बोड़ला ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु रकबा 0.536 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date : 06 -08-2024

Place : Raipur

Name - Anur Nath Prasad

Designation - Amarnath Prasad
Secretary

Government of Chhattisgarh
Forest & Climate Change Department
Mantralaya, Naya Raipur, Atal Nagar
Forest & Climate Change Department

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5-06/2024/10-2
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 07/08/2024

वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
उप कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ - 492015।

विषय:- आवेदनकर्ता, प्राधिकृत अधिकारी, सिनियर मैनेजर, टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड द्वारा कवर्धा जिले के कवर्धा वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 0.536 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-ए/115-918/404, दिनांक 06.02.2024 तथा पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-ए/115-918/1046, दिनांक 25.04.2024 एवं पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-ए/115-918/1655, दिनांक 09.07.2024।

---00---

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्रों द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :-

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र - आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी सिनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर (मध्य प्रदेश) द्वारा कबीरधाम जिला के कवर्धा वनमंडल क्षेत्रांतर्गत बोड़ला ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वन भूमि रकबा 0.536 हे. के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत है।	01 से 12 तक
2	रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एक्नालेजमेंट स्लिप की छायाप्रति:- रजिस्ट्रेशन FP/CG/OFC/154845/2022 आबंटित किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एक्नालेजमेंट स्लिप की छायाप्रति संलग्न है।	13
3	वन क्षेत्र का विवरण:- आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी सिनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर (मध्य प्रदेश) द्वारा कवर्धा वनमंडल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कवर्धा के वन भूमि में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित रकबा आरक्षित वन 0.346 हे., संरक्षित वन 0.190 हे., कुल आवेदित वन भूमि रकबा 0.536 हे. है।	14 से 15 तक
4	गैर वन क्षेत्र विवरण:- कवर्धा वनमंडल के वन परिक्षेत्र कवर्धा अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु गैर वनक्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। इस योजना अंतर्गत गैर वन भूमि को शामिल नहीं किया गया है।	16

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर:- प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का टोपोशीट 1:50000 स्केल पर मानचित्र संलग्न है।	17 से 20 तक
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप:- प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैप संलग्न है।	21 से 23 तक
7	प्रपत्र-4 में प्रस्ताव :- आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी सिनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर (मध्य प्रदेश) द्वारा कवर्धा वनमण्डल के वन परिक्षेत्र कवर्धा अन्तर्गत बंजारी से बोड़ला वन भूमि में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वन भूमि रकबा 0.536 हे. का चयन किया जाना अपरिहार्य एवं अनिवार्य हैं। प्रस्तावित कार्य विद्यमान मार्गों के राईट ऑफ वे में किया जाना है अतः इसमें वृक्ष विदोहन नहीं होना है। कबीरधाम जिला के क्षेत्रांतर्गत बोड़ला ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने से समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्राम वासियों के पंचायत सम्बंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारु रूप से सम्पादित होंगे।	24 से 29 तक
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप :- आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी सिनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर (मध्य प्रदेश) द्वारा कवर्धा वनमण्डल के वन परिक्षेत्र कवर्धा के अंतर्गत बंजारी से बोड़ला में ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क स्थापित किया जायेगा जिसके अंतर्गत राज्य के ग्रामीण एवं आदिवासी अंचल के लोग मोबाईल फोन एवं इंटरनेट के माध्यम से देश एवं दुनिया से संपर्क स्थापित कर सकेंगे। प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कबीरधाम जिले के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोड़ला तक मुख्य मार्ग के 10.720 कि.मी. 4 जी समांतर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाना है ताकि इस मार्ग के आस पास की सभी आबादी इस सुविधा से लाभान्वित हो सके। इस हेतु कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत तक मुख्य सड़क के समानांतर 10.720 कि.मी. 4 जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 0.536 हे. प्रस्तावित है। जिसमें कवर्धा वनमंडल के अंतर्गत परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोड़ला के आरक्षित वनभूमि रकबा 0.346 हे., संरक्षित वनभूमि रकबा 0.190 हे. तथा राजस्व वनभूमि रकबा 0.000 कुल रकबा 0.536 हेक्टर आवश्यक है।	30
9	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र :- प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं हैं। इस संबंध में की जा रही वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम हैं। प्रमाण पत्र संलग्न है।	31
10	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों/जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही :- इस प्रस्ताव के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अधिनियम उल्लंघन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है एवं उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार के अधिनियम उल्लंघन की गई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	32
11	वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा:- भाग-2 पर वनमंडलाधिकारी कवर्धा वनमंडल द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 19.10.2023 से प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।	33 से 39 तक
12	ऐतिहासिक प्रमाण पत्र - आवेदित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने में ऐतिहासिक स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहे हैं।	40

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
परिवर्तन विभाग

क्रमशः 3

2

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या
13	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कबीरधाम जिला क्षेत्रांतर्गत बोड़ला ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	41 से 43 तक
14	जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में:- कबीरधाम जिले की कुल वन भूमि रकबा 158830.00 हे. है।	44
15	वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में:- वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत कबीरधाम जिले के स्वीकृत 19 प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा 1206.651 हे. है।	45
16	वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में:- वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत कबीरधाम जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी के 04 प्रकरणों में की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा 13.579 हे. है।	46
17	प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/ एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010) :- प्रस्तावित वनक्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, हाथी कॉरिडोर, वन्यप्राणी अभ्यारण्य प्रस्तावित नहीं है एवं ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है।	47
18	वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र./F.No. 11-9/1998 दि. 03.08.2009) :- आवेदित क्षेत्र के लिए वन अधिकार सम्बन्धी प्रमाण पत्र कलेक्टर कबीरधाम द्वारा जारी की गई है जो प्रस्ताव में संलग्न है।	48 से 50 तक
19	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू-प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):- आवेदित क्षेत्र में राजस्व वन भूमि सम्मिलित नहीं है। राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर कबीरधाम द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है जो प्रस्ताव में संलग्न है।	51 से 53 तक
20	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31/07/2009):- पंजीयन शुल्क तथा प्रसंकरण (प्रोसेसिंग) शुल्क कुल राशि 35000 रुपये जमा कर दिया गया है। जिसे जिला कोषालय में चालान नम्बर 36 दिनांक 14.07.2022 द्वारा वनमण्डलाधिकारी कवर्धा के पी. डी. खाते में जमा कर दिया गया है।	54 से 56 तक
21	राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा:- प्रस्तावित वन भूमि भोरमदेव वन्यप्राणी अभ्यारण्य के अंतर्गत नहीं आ रहा है। अतः इस प्रस्ताव हेतु वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) रायपुर का अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है।	57
	डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट एवं मैप सी.डी.सहित	58 से 77 तक


अनुराग सिंघ
छत्तीसगढ़ शासन
एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
राज नगर

प्रकरण भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर Parivesh-I में अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र-4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र-5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्न : - उपरोक्तानुसार।

(डी.आर.सोन्तापर)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 07/08/2024

पृ.क्रमांक एफ 5-06/2024/10-2

प्रतिलिपि:-

- 1.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
- 2.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
- 3.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़।
- 4.मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग छत्तीसगढ़।
- 5.वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, कवर्धा, छत्तीसगढ़।
- 6.आवेदनकर्ता, Telesonic Networks Limited, 3Rd & 4 th Floor, Scheme No. 54 A.B. Road metro Towers Near Vijay Nagar Square, Indor (MP) 452010.
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

011